संख्या-9/2023/272/तेईस-7-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन''ख'' वर्ग),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 24 फरवरी, 2023

विषयः- श्रीमती मंजुला गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, आशुलिपिक, निमार्ण खण्ड, सीतापुर के स्वयं के उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-407व्यख/190व्यख(आशु0)/22, दिनांक 08.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011(यथा संशोधित- 2014 एवं 2016) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती मंजुला गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, आशुलिपिक, निमार्ण खण्ड, सीतापुर द्वारा मिडलैण्ड हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, लखनऊ में दिनांक-11-05-2021 से दिनांक 29-06-2021 तक भर्ती रहकर स्वयं की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 9,99,880.00 के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 7,04,257.00/-(रूपये सात लाख चार हजार दौ सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति श्रीमती मंजुला गुप्ता को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्स स्वीकृति प्रदान करते है। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय की उक्त दावे से संबंधित बिलों का भुगतान पूर्व में नही किया गया है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2071पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01सिविल 800 अन्य-04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49अन्य व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
(राजेश प्रताप सिह)
उप सचिव।

संख्या-9/2023/272(1)/23-7-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0,प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।

6- कोषाधिकारी, सीतापुर।

7- श्रीमती मंजुला गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, आशुलिपिक, निमार्ण खण्ड, सीतापुर निवासी मोहल्ला बटसगंज, सीतापुर।

8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।